

7-9-19 पञ्जाबली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई  
वाई। पत्रनुमाही की लम्ब से वास्ते पैरवी  
की उपपरी नही है, न्यायालय का समय  
समाप्त होले की है अतः वादी की अदम दायरी  
एवं अदम पैरवी में दावा रखा गया किया गया।  
पञ्जाबली फंसल शुमार होकर इज नम्बर से  
कर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।

उप खण्ड अधिकारी  
साँभर लेक